



इलाहाबाद उच्च न्यायालय  
रिट- सी सं० - 1460 वर्ष 2026

वंदना

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 7 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : हेमंत कुमार दूबे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं० 1 तथा 2 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी सं० 8 की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर भारती को सुना।
2. आज पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्राइवेट- प्रत्यर्थीगण को नोटिसों को जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा किया गया एक मात्र अनुरोध निर्धारित अवधि में उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 210 के अधीन पुनरीक्षण सं० 1050 वर्ष 2014 (श्रीमती ऊषा देवी बनाम उमाशंकर तिवारी तथा अन्य) कम्प्यूटरीकृत सं० सी20140500001050 का विनिश्चय करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 2- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को निदेश देने के सम्बन्ध में है।
4. उपस्थित पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ता के सहमति से, वर्तमान रिट याचिका को पूर्वोक्त पुनरीक्षण का विनिश्चय अधिक शीघ्रता से एवं दैनिक आधार पर सुनवाई हेतु मामले को नियत करते हुए, यदि संभव हो, इस आदेश के प्रमाणित प्रति को पेश किये जाने की तिथि से अवश्य ही तीन माह के अवधि के अन्दर करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 2 आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को निदेश देते हुए अंततः निपटाया जाता है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"